



5 रु.

भारत

पाँच रुपये

5 रु.

भारत

पाँच रुपये

RS 5

INDIA

FIVE RUPEES

148

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/ 2016 निगरानी

अग-1544-I-16

1. माधौराम
2. दिनेश कुमार पुत्रगण काशीराम
3. सर्वेश
4. उमेश पुत्रगण लल्लू प्रसाद
निवासीगण - कस्बा रौन तहसील रौन
जिला भिण्ड म.प्र.

..... आवेदकगण

बनाम

1. गिरन्द प्रसाद पुत्र श्यामलाल
2. महावीर
3. विनोद पुत्रगण छेंदालाल
निवासीगण - कस्बा रौन तहसील रौन
जिला भिण्ड म.प्र.

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग लहार जिला भिण्ड द्वारा
प्रकरण क्रमांक 17/ 2012- 13 अपील में पारित आदेश दिनांक
04.02.2016 के विरुद्ध निगरानी समयावधि में प्रस्तुत ।

महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत

है:-



1. यहकि, ग्राम रौन तहसील रौन जिला भिण्ड स्थित आराजी 1892/
1/1 रकवा 0.394 हेक्टर संपूर्ण एवं सर्वे क्रमांक 1892/ 1/3 रकवा 0.
393 हेक्टर कुल रकवा 0.787 हेक्टर पर आवेदकगण का लगभग चार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1544-एक/16

जिला - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	